Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 20/2024

निर्भयसिंह पुत्र जगराम जाति गुर्जर निवासी रतनपुरा तहसील महवा जिला दौसा

...अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महवा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार महवा दिनांक 3.6.2020 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम निर्भयसिंह प्रकरण संख्या 13/2020 अंतर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट (अनुपस्थित)
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 30.4.2025

1. संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट ने नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.6.2020 जो कि प्रकरण सं0 13/2020 उनवानी सरकार बनाम निर्भयसिंह से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलांट के उपस्थित नहीं होने से न्याय हित में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को बहस मानकर सुनवाई की गई।
3. मुताबिक अपील मीमो अपील के तथ्य इस प्रकार हैं, कि पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरूद्ध एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार जी महवा के समक्ष इस आशय की पेश की कि अपीलांट अतिक्रमी निर्भयसिंह ने सम्वत 2077 फसल खरीफ में ग्राम रतनपुरा की राजकीय आराजी खसरा नम्बर 393 रकबा 0.95 है0 किस्म गै०मु० रास्ता भूमि से 0.01 है० के रकबे पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसील महवा ने अपीलांट को बिना कोई विधिवत सुनवाई व सबूत का मौका दिये ही निर्णय जैर अपील पारित कर अपीलांट को भूमि से बेदखल करने का आदेश प्रदान कर दिया व 50 गुणा शास्ति राशि कायम कर दी। पटवारी हल्का की इस रिपोर्ट के आधार पर दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील पेश की जा रही है। निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा विधि विरुद्ध एवम तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का ने अपीलांट के विरूद्ध गलत व मौके के विपरीत रास्ते पर अतिक्रमण की गलत रिपोर्ट पेश की है, जबकि अपीलांट ने कोई रास्ता बन्द नही किया है। शिकायतकर्ता का रास्ता ही अलग है जो मकान में आने जाने का है। अपीलांट प्रार्थी का रास्ता भी अलग है। यह रास्ता गांव के आने जाने का रास्ता नही है तथा जो निर्माण करना बताया है वह भी पूर्व का किया हुआ निर्माण है पूर्वजो के समय का ही निर्माण है कोई नया निर्माण नही किया गया है, ना ही कोई रास्ता अपीलांट द्वारा बन्द किया गया है। तथा जो निर्माण पूर्व में पूर्वजो द्वारा किया गया है वह [illegible] से इेजाजद लेकर ही बनाया गया है अतः अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है [illegible] ने गलत व मौके के विपरीत रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अधीनस्थ तहसीलदार ने जो निर्णय फरमाया है वह विधि विरुद्ध है और निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमण भी साबित नही हैं ना ही इसका कोई हवाला ही अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे दिया है इसलिए भी बिना पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित किये बिना अपीलांट को अतिक्रमी मी नहीं माना जा सकता। प्रार्थी का पूर्व में भी कोई अतिक्रमण साबित नही है। अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार दौसा को कानूनन सिविल कारावास की सजा करने का कोई अधिकार नही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रदर्शित नही हुई पटवारी हल्का से अपीलांट को जिरह का मौका भी नही दिया बिना रिपोर्ट प्रदर्श हुए ही रिपोर्ट को साक्ष्य में ग्रहण ही नही किया जा सकता। इसलिए भी अधिनस्थ नायब तहसीलदार जी महवा का निर्णय निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही किया है यह प्रकरण राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नही आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जी महवा दिनांक 3–06–2020 निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील करवाई गई है। अपीलांट बाद तामील अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अतिक्मी ने ग्राम रतनपुरा के राजकीय भूमि खसरा नंबर 393 गै0मु0 रास्ता पर पक्की दीवार बनाकर अतिचार किया है। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।
5. प्रकरण में विवाद नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.6.2020 है जिसमें उनके द्वारा श्री निर्भय सिंह पुत्र जगराम को खसरा नंबर 393 रकबा 0.95है भूमि में से 0.01 है.पर अनाधिकृत रूप से पक्की दीवार बनाकर अतिक्मी मानते हुए बेदखली के आदेश पारित किये है।
6. प्रार्थी का कथन है कि यह आदेश प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नहीं दिये पारित किया गया है साथ ही यह रास्ता ग्राम के आने जाने का रास्ता नहीं है एवं जो निर्माण करना बताया गया है वह पूर्व का निर्माण किया हुआ है एवं पंचायत से इजाजत लेकर बनाया गया है।
7. जहॉ तक प्रश्न प्रार्थी को बिना सुनवाई के आदेश पारत करने के संबंध में है जिसमें हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि अपीलांट ने दिनांक 3.6.2020 को अपना जवाब प्रेषित किया गया है। यह तथ्य आदेशिका दिनांक 3.6.2020से भी स्पष्ट होता है जिसमें अतिक्मी की ओर से वकील उपस्थित होने एवं जवाब पेश करने का अंकन किया गया है। जहॉ तक प्रार्थी का यह कथन है कि यह गांव में आने जाने का रास्ता नहीं है एवं दीवार का निर्माण पूर्व में ही करवा लिया गया था तो इस संबंध में उक्त दोनों बिन्दु प्रार्थी को किसी भी प्रकार से राजकीय भूमि पर अतिक्मण करने की छूट प्रदान नहीं करते है। रास्ता एक सुखाचार है जो कि सामुदायिक संपत्ति है। जिस पर अतिचार करने से आम जन के सुखचार में व्यवधान पैदा होता है एवं लडाई झगडे एवं विवाद बढते है। ऐसे में राजकीय अभिलेख में रिकार्डेड रास्ते पर किसी भी प्रकार के अतिक्मण चाहे वह पुराना हो स्वीकार्य नहीं है। प्रकरण में भी तहसीलदार द्वारा पटवारी से दो अलग–2 समय पर रिपोर्ट ली गई है जो रिपोर्ट में (दिनांक 28.5.2020 एव 2.6.2020) को उक्त खसरे पर अपीलांट द्वारा अतिक्मण किया गया।
8. जहॉ तक प्रार्थी का यह कथन है कि उक्त दीवार उनके पूर्वजों द्वारा पंचायत से इजाजत लेकर बनाई गई थी तो इस संबंध में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं राजकीय भूमि जो कि रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित है पर दीवार बनाने की अनुमति ग्राम पंचायत को देने का अधिकार नहीं है। यदि इस प्रकार ऐसा कोई दस्तावेज

जिला कलक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

अस्तित्व में भी है तो वह शून्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 3.6.2020 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested